



3/1

77

पत्रांक : 1878/05/76/एक/2013-14
सेवा में,

दिनांक : 20 सितम्बर 2013

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2013-14 में सूडा द्वारा झूडा को अवमुक्त की गई धनराशि की सूचना। jkeij

महोदय,
अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:- (धनराशि लाख रु0 में)

| क्र0सं0 | जनपद का नाम | निकाय का नाम | बस्ती/वार्ड का नाम | आगणित धनराशि | शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि | सेन्टेज की धनराशि | अवमुक्त की जाने वाली धनराशि | बैंक/खाता संख्या (ट्रान्सफर धनराशि) |
|---------|-------------|-----------------|---|--------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | रामपुर | न0पं0 केमरी | मो0 माजुल्ला नगर वार्ड नं0-9 में अब्दुल नबीस के घर से जीमल के घर तथा कब्रिस्तान तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली का निर्माण | 20.140 | 10.070 | 2.230 | 7.840 | PNB 093200 010503 4436 |
| 2 | रामपुर | न0पं0 केमरी | मो0 माजुल्ला नगर वार्ड नं0 13 के मोती मस्जिद में नवाब साहब के घर होते हुए कलाम के घर (कब्रिस्तान) तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 20.380 | 10.190 | 2.264 | 7.926 | |
| 3 | रामपुर | न0पं0 केमरी | मो0 चमरान वार्ड नं0 1 में जयराम ट्यूबवेल से मुरारी लाल तथा राम भरेसे के घर से शब्बर घोसी के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 21.530 | 10.765 | 2.392 | 8.373 | |
| 4 | रामपुर | न0पं0 केमरी | मो0 सिंधडियान में किशन लाल के घर (होनी चौराहा) से रामपुर रोड तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली का निर्माण | 33.790 | 16.895 | 3.750 | 13.145 | |
| 5 | रामपुर | नं0 पं0 शाहाबाद | मो0 फर्रेशान वार्ड नं0 13 में मसरूर भाई के होटल से बर्फखाना होते हुए रिफाकत भाई के कोल्हू के आसपास विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 27.240 | 13.620 | 3.020 | 10.600 | |
| 6 | रामपुर | नं0 पं0 शाहाबाद | मो0 फर्रेशान वार्ड नं0 13 मेरिफाकत भाई के कोल्हू के आसपास विभिन्न गलियों में इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण कार्य। | 37.310 | 18.655 | 4.140 | 14.515 | |
| 7 | रामपुर | नं0 पं0 शाहाबाद | मो0 फर्रेशान वार्ड नं0 13 में वसीम मेडिकल स्टोर से मुन्ना भाई तथा रोहन की गली में इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 9.520 | 4.760 | 1.050 | 3.710 | |



3/2

दूरभाष

नव वेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------------------|---|--------|--------|--------|--------|--|
| 8 | रामपुर | नं० पं० शाहाबाद | मो० कानूनगयान में बिलात मस्जिद से लल्ला आटो सेन्टर (पानी की टंकी) तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली का निर्माण। | 29.020 | 14.510 | 3.225 | 11.285 | |
| 9 | रामपुर | नं० पं० शाहाबाद | मो० कानूनगयान में हनीफ के घर से सलीम इद्रीश के घर तक इण्टरलाकिंग पेवर ब्लाक सड़क एवं नाली निर्माण का कार्य। | 4.850 | 2.425 | 0.540 | 1.885 | |
| | योग | | | 203.78 | 101.89 | 22.611 | 79.279 | |

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:-

- 1- उपरोक्त सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी०सी० रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी०पी०आर०/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।
- 2- स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।
- 3- स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।
- 4- परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख-रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।
- 5- योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2013-14 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नहीं प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।
- 6- उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।
- 7- प्रश्नगत परियोजना में शुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।



3/3

दूरभाष- 2286709

2286710

नया घेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ.प्र.

- 8- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 9- शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष 50 प्रतिशत की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये 75 प्रतिशत के उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित अभिकरण को एक माह में उलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे अवशेष 50 प्रतिशत की धनराशि शासन से प्राप्त कर जनपद को अवमुक्त की जा सके।

भूषदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. संयुक्त निदेशक, सूडा।।
3. अधि० अभियन्ता-सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग-सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक